रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2014/ आषाढ़ 23, 1936
No. 363] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2014/ASADHA 23, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 501(अ).—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) का खंड (ट) और खंड (ठ) का साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 तथा धारा 45 का साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए लोक सवकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अंतर्विष्ट करन वाली सूचना और वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करन का उपबंध करन का लिए और उन आस्तियों जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 45 का अधीन लोक सवक द्वारा ऐसी सूचना दान स छूट द सक का न्यूनतम मूल्य का उपबंध करन का लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी दान तथा विवरणियाँ फाइल करन में आस्तियों की छूट का लिए सीमाएं) नियम, 2014 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंग।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ स अन्यथा अपक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" स लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्रत हैं ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों के परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ग) "वार्षिक विवरणी" से धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी अभिप्रेत है ;

(घ) "घोषणा" से धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन लोक सेवक द्वारा की गई आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्ररुप" से परिशिष्ट - 2 में विनिर्दिष्ट कोई प्ररुप अभिप्रेत है ;

(च) "सूचना" से धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन लोक सेवक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित सूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

3. सूचना और वार्षिक विवरणी देने की रीति — (1) प्रत्येक लोक सेवक, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित सूचना और परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट प्ररुप 1 से प्ररुप 4 में धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी के साथ परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट रूपविधान में धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा ।

(2) प्रत्येक लोक सेवक, उस वर्ष की 31 जुलाई को या उसके पूर्व धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान अपनी आस्तियों और दायित्वों के विषय में यथास्थिति, घोषणा, सूचना या विवरणी फाइल करेगा :

परंतु वे लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवकों को लागू नियमों के उपबंधों के अधीन संपत्ति की घोषणाएं, सूचना और वार्षिक विवरणियां फाइल कर चुके हैं, 15 सितंबर, 2014 को या उसके पूर्व सक्षम प्राधिकारी को 1 अगस्त, 2014 को यथा विद्यमान यथास्थिति, पुनरीक्षित घोषणाएं, सूचना वार्षिक विवरणी फाइल करेंगे।

4. उन आस्तियों का न्यूनतम मूल्य जिन्हें सक्षम प्राधिकारी सूचना देने से छूट दे सकेगा -- उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी किसी आस्ति की बाबत सूचना फाइल करने से किसी लोक सेवक को धारा 45 के परंतुक के अनुसार तब छूट दे सकेगा यदि ऐसी आस्ति का मूल्य लोक सेवक के चार मास के मूल वेतन या दो लाख रुपये जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं है ।

परिशिष्ट - 1

[नियम 3(1) देखिए]

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....*को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति ....(पदनाम, नाम और संगठन का पता)

(ख) किस सदस्य से संबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा --

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररुप 1 से प्ररुप 4 मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

..

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें ।

.....

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी । विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को—

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा ।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो "कर्ता" या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररुप सं. 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो ।

टिप्पण 3. "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं । (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण ।

परिशिष्ट - 2

[नियम 3 (1) दखिए]

प्ररुप संख्या 1

लोकसवक, उसक पति या पत्नी और आश्रित बालकों क ब्यौर

क्रम संख्या		नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	क्या विवरणी, उसक द्वारा पृथक रुप स फाइल की जाती है
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित - 1			
4	आश्रित -2			
5*	आश्रित - 3			

*और पंक्ति जोड़ यदि आवश्यक हैं

तारीख ..... हस्ताक्षर.....

प्ररुप संख्या 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण

स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बालकों की जंगम संपत्ति क ब्यौर

क्रम संख्या	वर्णन		रकम रुपय में				
			स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा क ब्यौर (एफ डी आर, निक्षपों की अवधि, बचत खातों सहित जमा क सभी अन्य प्रकार), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्त कंपनियों	बैंक/वित्त संस्थाओं क नाम और जमा की प्रकृति					

	और सहकारी सोसाइटियों में जमा और प्रत्यक्ष ऐस जमा में रकम						
(iii)	बंधपत्रों, डिबैंचरों, शारों में विनिधान क ब्यौर और कंपनियों/ पारस्परिक निधियों में यूनिटें और अन्य	कंपनी का नाम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान क ब्यौर और किसी डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्त लिखतों में विनिधान	विनिधान का नाम					
(v)	भविष्य निधि/नई पेंशन स्कीम में जमा क ब्यौर	विनिधान का नाम					
(vi)	वैयक्तिक उधार/किसी व्यक्ति को दिया गया अग्रिम या अस्तित्व जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि सम्मिलित हैं और ऋणियों स अन्य प्राप्य तथा रकम (जो अधिक है (क) दो मास का मूल वतन, जहां लागू हैं, (ख) अन्य मामलों में एक लाख रुपय)	ऋणी का नाम					
(vii)	मोटरयानों/वायुयानों/क्रीड़ा नौकाओं/पोत (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि, क्रय का वर्ष और रकम क ब्यौर)	यान की प्रकृति, रजिस्ट्रीकरण की संख्या और क्रय का वर्ष					

(viii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(एं) (भार का ब्यौरा दें) *** बुलियन	सोना					
		चांदी					
		बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु					
		स्वर्ण					
		चांदी					
		बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु					
(ix)	कोई अन्य अस्तियां						

तारीख..... हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 -- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों को भी दिया जाना होगा ।

टिप्पण 2 - निक्षेपों/विनिधानों की दशा में, रकम, निक्षेप की तारीख स्कीम, बैंक का नाम/संस्था और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाएं ।

टिप्पण 3 -- सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध फर्मों के मामले में बहियों की मूल की बाबत स्टाक एक्सचेंज में चालू बाजार मूल्य के अनुसार बंधपत्रों/शेयर डिबैंचरों का मूल्य ।

टिप्पण 4 -- प्रत्येक विनिधान की बाबत रकम में सम्मिलित ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएं ।

टिप्पण 5 -- ऊपर (i) से (viii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (ix) के अधीन व्यष्टिक रूप से दो मास से अधिक के मूल वक्तान (जहां लागू हों) या 1.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जंगम आस्तियों के ब्यौरे को उपदर्शित किया जाए ।

प्ररुप सं. 3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण

(लोक सवक, उसक पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम संख्या	संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/ फ्लैट/दुकान/ औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थिति है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि	भूमि का क्षव (भूमि और भवनों क मामलों में)	भूमि संपत्ति क मामल में भूमि की प्रकृति	हित का विस्तार	यदि लोक सवक क नाम नहीं है तो किसक नाम धारित है, उल्लख करें और उससे लोक सवक की नातदारी, यदि कोई	अर्जन की तारीख	कैस अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टा, विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/ व्यक्तियों क ब्यौर सहित नाम जिनस अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सवक स संबंध, यदि कोई है) कृपया नीच टिप्पण 1 दख और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	संपत्ति स कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तारीख..... हस्ताक्षर.....

टिप्पण -- 1. स्तंभ 9 क प्रयोजन क लिए, पट्टा "पद" स वर्ष दर वर्ष स किसी एक वर्ष स अधिक अवधि क लिए या वार्षिक किराए क लिए आरक्षित अवधि क लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्रा होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐस व्यक्ति स प्राप्य होता है जिसका सरकारी सवक क साथ शासकीय संबंध है, ऐस पट्ट की अवधि को चाह यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए क संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए ।

प्ररुप सं. 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम संख्यांक	ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	रकम	लक्षादार का नाम और पता	उपगत दायित्व की तारीख	संव्यवहार क ब्यौर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

तारीख..... हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1— उधारों की व्यष्टिक मदें जो दो मास क मूल वक्षान स अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य मामलों में 1.00 लाख रुपय है, सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है ।

टिप्पण 2— विवरण में वाहन क क्रय, गृह निर्माण अग्रिम आदि (वक्षान और यात्रा भत्त क अग्रिमों स भिन्न), भविष्य निधि स अग्रिम और उससस उधार, क लिए अग्रिम जैस नियोजक स उपलब्ध विभिन्न उधारों और अग्रिम (टिप्पण 1 में दिए गए मूल्य स अधिक) जीवन बीमा पालिसियों तथा सावधि जमाओं पर उधार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (ख)]

पी. क दास, संयुक्त सचिव